पत्रांकः— 14/ए0एफ0—27/2019...

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक......./......./2021

विषयः— गीता प्रसाद सिंह कॉलेज ऑफ कॅमर्स (संध्याकालीन) महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को स्नातक कला एवं वाणिज्य संकाय के पास एवं प्रतिष्ठा स्तरं में सत्र 2021—24 एवं 2022—25 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक—B/854 दिनांक 26.05.2021 एवं पत्रांक— B/919 दिनांक 08.06.2021 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा—21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या—1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक—14.12.2017 एवं पत्रांक—3074 दिनांक—25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने गीता प्रसाद सिंह कॉलेज ऑफ कॅमर्स (संध्याकालीन) महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रस्तावित विषयों में सत्र 2021—24 एवं 2022—25 के लिए अस्थायी संबंधन निम्नवत निदेश के साथ प्रदान करने के संबंध मे सहमति प्रदान की है।

(1) बी0बी0 कॉलेजिएट विद्यालय में संध्याकालीन महाविद्यालय कोई भी अतिरिक्त निर्माण नहीं करेगा।

(2) विद्यालय से जिस स्थिति में उपयोग हेतु कमरा/भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपयोग में लिया गया है, उसे उसी रूप में रखा जाय।

(3) संध्याकालीन महाविद्यालय के रूप में वर्ग—कक्ष के संचालन में विद्यालय के पढ़ रहे छात्र—छात्राओ की पढ़ाई एवं शिक्षको के वर्ग संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

क्र० सं०	संकाय	विषय
01	कला संकायः (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिंन्दी, अंग्रेजी, ऊर्दू, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान, (कुल 12 विषयों में)
02	वणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्टस, बिजनेस एनवॉरमेन्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एवं बिजनेस फिनांस (कुल 04 विषयों में)

2. निदेश दिया जाता है कि भविष्य में अगर महाविद्यालय परिनियमानुसार संबंधन के सभी मानकों/शर्त्तो को पूरा करता है तो परिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थायी संबंधन से संबंधित अनुशंसा उपलब्ध करायी जाय।

आगामी अनुशंसा के पूर्व इस संबंध में मापदंड पूर्ण करने का निदेश संस्था को दें। साथ ही, परिनियम में अंकित शर्त्तो/मानकों के पूरा नहीं किये जाने एवं अस्थायी संबंधन के अनुशंसा की स्थिति में इसके औचित्य पर प्रकाश डालें।

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 14/ ए0एफ0–27/2019...–700 पटना, दिनांक 05/07/2021

प्रतिलिपिः– माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/सचिव, गीता प्रसाद सिंह कॉलेज ऑफ कॅमर्स (संध्याकालीन) महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड किया जाय।

5/7/21

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव